


22-7-19

पत्रावली पैस हुई। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी  
अधिवक्ता अधिष्ठात हुए। पत्रावली में प्राथी को  
उसी अधिवक्ता को लीक-लीक कर आवाज  
लगवाई गई। फिर भी अधिष्ठात हैं। पत्रावली का  
मूल वाद में लम्बे समय से साक्ष्य वाद में चल  
रहा है। पत्रावली के मूल वाद में साक्ष्य वाद प्रस्तुत  
करते के अभाव में पत्रावली खारिज होने के  
साथ-साथ प्राथी पर प्रा. धारा 212 R.T. Act  
की खारिज किया जाते हैं। पत्रावली नम्बर की  
कोर्ट द्वारा दायित्व दस्तावेज की जाती



उपखण्ड अधिकारी  
खरवाडा जि उदयपुर